Cost of Tender Form: Rs- 1500/-(Excluding GST)

UTTARAKHAND OPEN UNIVERSITY

Behind Transport Nagar, Vishwavidyalay Marg, Teenpani Haldwani, Nainital-263139

Phone No.- 1800 180 4025

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा अनुभाग के उपयोगार्थ समय–समय पर टैक्सी/पिक–अप वाहनों की आपूर्ति हेतु संस्थाओं को सूचीबद्व किये जाने के संबंध में ई–निविदा आमंत्रित की जाती है :–

वर्ष 2024-25

Tender Document No.	UOU / EXAM / Service provider for Vehicle/ 2024-25/.364.
Date of Release of Tender	19/06/2024
Last Date of submission of Bids	02/07/2024
Date and time of Opening of Technical Bids	03/07/2024
PRE Bid Meeting Date and time	24/06/2024
Place of Opening of Technical Bids	UOU Conference Hall, Haldwani-263139
Date of Opening of Financial Bids	Intimated Later
Tender Documents Fees (Including GST)	Rs. 1500.00 + GST
Earnest Money to be Deposit (EMD)	Rs. 30,000

नोटः

- निविदा फार्म का मूल्य RS 1500 (रू0 पन्द्रह सौ मात्र), कर अतिरिक्त एवं धरोहर राशि 30,000 (रू0 तीस हजार मात्र) के अनुसार विश्वविद्यालय के खाते में ऑनलाईन जमा कर ट्रांजेक्शन नम्बर एवं दिनांक विवरण तकनीकी बिड में अपलोड करनी आवश्यक है।
- निविदादाताओं से अनुरोध है कि वे अपलोड किये गये निविदा फार्म के दस्तावेजों की एक प्रति अपने पास भविष्य के लिए आवश्य सुरक्षित रखें।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
Uttarakhand Open University

कार्य का नाम :– परीक्षा कार्यों हेतु टैक्सी / पिक अप–वाहन की आपूर्ति

नियम एवं शर्तेः–

1. आपूर्ति हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों का परिवहन विभाग में व्यापारिक कार्य हेतु वैध पंजीकरण एवं फिटनेस प्रमाणपत्र होना आवश्यक है।
2. सषर्त निविदा मान्य नही की जायेगी।
3. संस्था के पास उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक जानकारी का ज्ञान होना आवश्यक है।
4. निविदादाता फर्म किसी सरकारी संस्थान से प्रतिबंधित नही होनी चाहिये, जिसका प्रमाण पत्र फर्म को अपने लेटर पैड पर देना होगा।
5. GST का वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न होना चाहिए।
6. निविदा स्वीकार किये जाने हेतु ऐसी संस्था जिसके पास समान कार्य करने का अनुभव हो, को वरीयता दी जायेगी।
7. धरोहर राशि (EMD) रुपया 30000.00 का डी0डी0/सावधि जमा रसीद/बैंक–ड्राफ्ट 'उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय' के नाम जमा करना होगा।
8. असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि उसकी अंतिम वैधता अवधि की समाप्ति पर 30 दिनों के अन्दर वापस कर दिया जाएगा।
9. सफल निविदादाता, जिसके पक्ष में संविदा की जाती है, अथवा उसे सूचीबद्ध किया जाता है, से कार्यपूर्ति हेतु प्रतिभूति राषि जमा कराई जायेगी जो DD/TDR या BG के रूप में होगी। कार्यपूर्ति के उपरान्त निविदादाता को उसे वापस कर दिया जाएगा। **एक से अधिक फर्म सूचीबद्ध होने पर प्रतिभूति राषि सभी फर्मों में समान रूप से विभाजित कर दी जाएगी।**
10. निविदादाता के पास एक बार में कम से कम 15 यात्री वाहन अथवा 15 पिकअप वाहन किराए पर उपलब्ध कराने की क्षमता होना आवश्यक है। इसमें से कम से कम 3 वाहन निविदादाता के स्वयं के होने चाहिए।
11. अपरिहार्य स्थितियों में विष्वविद्यालय अनुबंधित फर्म के अतिरिक्त किसी अन्य एजेंसी से भी वाहन की आपूर्ति कराने के लिए स्वतंत्र है।
12. आवश्यकता के अनुसार वाहनों के मांग में वृद्धि अथवा कमी की जा सकती है।
13. यदि निविदादाता आवश्यकतानुसार वाहनों की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं होगा तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है और/या जमानत राशि जब्त की जा सकती है। विष्वविद्यालय को हुई क्षतिपूर्ति के लिए फर्म का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

14. आपूर्तित वाहनों की भौतिक स्थिति पूर्णरूपेण परिवहन विभाग के नियमों के अनुरूप होना आवश्यक है। वाहन के प्रपत्रों में किसी भी प्रकार की कमी होने पर अथवा विधिक विवाद/चालान होने की दषा में वाहन स्वामी स्वयं उत्तरदायी होगा। विष्वविद्यालय पर किसी भी प्रकार देयता अथवा उत्तरदायित्व नहीं होगा।

15. यात्रा के मध्य वाहन में किसी प्रकार की खराबी, तेल–आपूर्ति, चालक के रहने एवं भोजन की व्यवस्था तथा अन्य व्यय एवं करों की देयता का पूर्ण उत्तरदायित्व आपूर्तिकर्ता का होगा।

16. यदि वाहन की खराब स्थिति, वाहन चालक के व्यवहार अथवा अन्य ऐसा कारण, जिसमे आपूर्तिकर्ता का दायित्व पूरा नहीं हो पाता तथा यात्रा पूरी करने में कठिनाई होती है तो विष्वविद्यालय अपने स्तर से वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. किसी भी प्रकार की दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

18. चालक द्वारा अमर्यादित आचरण करने की दशा में अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

19. संबंधित वाहनों के प्रति किलोमीटर चलने की दरें विष्वविद्यालय द्वारा निविदा में प्रकाषित कर ली गई हैं, अतः फर्म को वाहन के लिए प्रति किलोमीटर की दरें न देकर केवल प्रतिदिन न्यूनतम दूरी किलोमीटर में प्रस्तुत करनी होगी।

20. प्रत्येक दशा में वाहन यात्री द्वारा प्रमाणित चालित दूरी, जो ड्यूटी–स्लिप पर प्रमाणित की जाएगी, की गणना के आधार पर भुगतान अनुमन्य होगा तथा नियमानुसार जी0एस0टी0 एवं टी0डी0एस0 की कटौती की जायेगी।

21. उक्त निविदा पर अंतिम निर्णय विष्वविद्यालय का होगा।

22. एक माह की पूर्व सूचना पर विष्वविद्यालय को अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा।

23. यह अनुबन्ध प्रथमतः एक परीक्षा सत्र के लिए किया जायेगा जिसे परस्पर सहमति के आधार पर अनुबन्ध की दरों एवं शर्तों को अपरिवर्तित रखते हुए माननीय कुलपति जी की अनुमति से निश्चित अवधि तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

24. किसी भी विवाद की स्थिति में कुलपति, उत्तराखंड मुक्त विष्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

निविदादाता का विवरण

क्र.स.	विवरण	हॉ /नही	संलग्नक की संख्या
1.	फर्म/सेवा प्रदाता का नाम		
2.	फर्म/सेवा प्रदाता का पता		
3.	पहचान पत्र (आधार कार्ड/ईपिक कार्ड)		
4.	जीएसटी/अन्य सुसंगत पंजीकरण सं0/विवरण – (प्रमाण पत्र संलग्न करें)		
5.	आयकर / पेन कार्ड सं0/ विवरण – (प्रमाण संलग्न करें)		
6.	निविदा प्रपत्र के मूल्य ₹1500.00 राशि का विवरण– डी0डी0 नं0 / – – बैंक/शाखा का नाम –		
7.	धरोहर राशि ₹30000.00 का विवरण – डी0डी0 नं0 – दिनांक – बैंक/शाखा का नाम –		
8.	15 टैक्सी/पिक अप वाहन किराये हेतु उपलब्ध कराने में सक्षम हैं/नही (स्व–प्रमाण पत्र संलग्न करें)		
9.	फर्म सरकारी संस्थान में प्रतिबंधित है/नही (स्व–प्रमाण पत्र संलग्न करें)		

मैं लिखित रुप से अपनी सहमति देता हूँ कि निविदा की सभी नियम व शर्तें मुझे मान्य है तथा उपरोक्त दर्शाई गई दरों पर वाहन आपूर्ति के लिये मैं इच्छुक हूँ। यदि मुझे आदेश निर्गत किया जाता है तो मैं रूपये 100.00 के गैर अदालती स्टैम्प पेपर पर औपचारिक अनुबन्ध पत्र भरने के लिये राजी हूँ।

निविदादाता फर्म/एजेन्सी/वाहन स्वामी का नाम

पता /फोन नं0

फर्म के हस्ताक्षर एवं मोहर

वाहन की दरें

क्रम संख्या	वाहन का मेक (समस्त यात्री वाहन वातानुकूलित होना आवश्यक है)	दर प्रति किमी		प्रति-दिन न्यूनतम दूरी (किमी में)
		मैदानी क्षेत्रों के लिए	पर्वतीय क्षेत्रों के लिए	
1	इनोवा अथवा समकक्ष वाहन, (तेल एवं चालक के साथ)	25.00	27.00	
2	बोलेरो, स्कार्पिओ_अथवा समकक्ष वाहन, (तेल एवं चालक के साथ)	22.00	25.00	
3	आल्टो, डिजायर अथवा समकक्ष वाहन, (तेल एवं चालक के साथ)	18.00	20.00	
4	बोलेरो-पिक-अप, महिंद्रा पिक-अप अथवा समकक्ष वाहन (तेल एवं चालक के साथ)	16.00	18.00	

नोटः–प्रतिदिन न्यूनतम दूरी का तात्पर्य सेवाप्रदाता द्वारा एक दिन में कम से कम प्रभारित दूरी से है। न्यूनतम दूरी से अधिक चलने पर वास्तविक दूरी का प्रति किमी की दर से उपरोक्तानुसार भुगतान किया जाएगा। प्रतिदिन न्यूनतम दूरी ऊपर वर्णित प्रत्येक प्रकार के वाहन के लिए अलग–अलग प्रस्तुत करें।

फर्म/सेवा प्रदाता के हस्ताक्षर एवं मोहर